

सेवामें,

ग्रामीण सेवा विधिर 2025

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सिवाना जिला बालोतरा

विषय:- राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सुईली की जमाबन्दी संवत् 2077
से. 2080 के खाता संख्या 57 में मेरा/हमारा नाम किशनाराम
पुत्र सवाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर
मेरा/हमारे शुद्ध नाम किशनाराम पुत्र सवाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश परवाने की कृपा करावै।

किशनाराम
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ.निरीक्षक

जहाँ से डाटा कार्ड है इन्वुंकार जहाँ का नाम किशनाराम पुत्र
सवाराम के स्थान पर किशनाराम पुत्र सवाराम किया
जाना उचित है।

Keish
17/10/25
प. लक्ष्मी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार उपर्युक्त दुरुस्ती किया जाना उचित है।

17/10/25
IR (16)

[Signature]
तहसीलदार समदड़ी

Acms No. 2025/683

आदेश

क्रमांक: ग्रा.से.शि./2025/ 1745

दिनांक:- 17.10.2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदड़ी अनुसार ग्राम सुईली की जमाबन्दी संवत् 2077
से से. 2080 के खाता संख्या 57 में किशनाराम पुत्र सवाराम के
स्थान पर सम्मान जनक इन्द्राज किशनाराम पुत्र सवाराम
करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही की जावे।



उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बालोतरा)